

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 4. 10.2013

क्रमांक एफ 16-38/2013/बी-ग्यारह : मेसर्स व्ही ई कमर्शियल व्हीकल्स लि. का बग्गड, जिला धार में पैसेंजर बस बॉडी निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स व्ही ई कमर्शियल व्हीकल्स लि. की परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे :-

- (1) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता- 75 प्रतिशत की दर से 12 वर्षों के लिये।
- (2) प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षों के लिये।
- (3) कम्पनी को नर्मदा घाटी विकास विभाग के आधिपत्य की पुनर्वास के लिये आरक्षित भूमि पर पहुंच मार्ग निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ दी जावे कि इसका उपयोग कम्पनी के साथ-साथ विस्थापित भी कर सकेंगे।
- (4) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 4. 10.2013

पृ.क्रमांक एफ 16-38/2013/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, धार।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, इंदौर।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार/पीथमुपर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स व्ही ई कमर्शियल व्हीकल्स लि., 102, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं. 1, पीथमुपर, जिला धार-454775 कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग